डॉ. मनमोहन सिंह

भारत के प्रधानमंत्री

का

उद्घाटन भाषण

राष्ट्रीय विकास परिषद

की 53वीं बैठक

29 मई, 2007

भारत सरकार

नई दिल्ली

प्रधानमंत्री का उद्घाटन भाषण
राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की 53वीं बैठक
(29 मई, 2007)

माननीय मुख्यमंत्रीगण एवं मंत्री परिषद के सहयोगियो,
केन्द्र और राज्य सरकारों के मंत्रीगण
विशिष्ट प्रतिनिधिगण,
देवियों एवं सज्ज्नों,

राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की 53वीं बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। इससे पहले हम ग्यारहवीं योजना के दृष्टिकोण-पत्र पर विचार करने के लिए दिसम्बर, 2006 में एकत्रित हुए थे। योजना की समग्र अवधारणा को पृष्ठांकित करते हुए तथा ग्यारहवीं योजना के दौरान अंतिम वर्षों में 10% तक के विकास दर को हासिल करने के बारे में एक उत्सुकतापूर्ण उम्मीद रखते हुए, **कृषि क्षेत्र में पायी गई कमजोरियों को सुधारने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता थी ।** 1990 के दशक के मध्य से कृषि क्षेत्र में विकास दर 2% वार्षिक से भी कम रही है, यह एक चिन्ता का विषय रहा है। इस प्रकार स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, मैंने राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक का प्रस्ताव रखा था जिसमें अलग से खाद्य और कृषि से संबंधित विषयों वर विशेष रूप से चर्चा करनी थी । आज हम इस महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करने और किसानों तथा इस क्षेत्र में समग्र रूप से सुधार के लिए एकत्रित हुए हैं ।

इससे पूर्व जून, 2005 में आयोजित एन डी सी की 51वीं बैठक में हम "कृषि और संबंधित मामलों पर" श्री शरद पवार , केन्द्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में एन डी सी की उपसमिति गठित करने के लिए सहमत हुए थे। इस उपसमिति का उद्देश्य भारतीय कृषि में आ रही समस्याओं का गहराई से अध्ययन करना और कार्य योजना हेतु व्यावाहारिक सुझाव प्रदान करना था।

एन डी सी- समिति ने विभिन्न मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में अनेक समितियां स्थापित कर इस विषय में काफी परिश्रम किया है। एन डी सी - समिति ने अपनी रिपोर्ट, जिसे परिचालित किया जा चुका है, में अनेक विशेषज्ञों की रिपोर्टों को भी तैयार किया है तथा कृषि क्षेत्र में नीति परिवर्तन हेतु मौटे तौर पर कार्यसूची प्रस्तुत की है । सापेक्ष रूप से कम समय में एन डी सी- समिति का कार्य पूरा करने के लिए मै श्री शरद पवार जी को उनके नेतृत्व के लिए बधाई देना चाहूंगा ।

ग्यारहवीं योजना के लिए कृषि हेतु कार्यनीति तैयार करने और समिति की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए मैंने योजना आयोग को निदेश दिए थे कि वह कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर कार्य करे तथा राज्य विशिष्ट कृषि नीतियों के साथ, विकास हेतु विशिष्ट प्रस्ताव रखें। कार्यनीति के विभिन्न घटकों के साथ आगे आने के लिए योजना आयोग कृषि मंत्रालय के साथ संपर्क में रहा है। इसके बाद मैं चाहूंगा कि कृषि मंत्री और उपाध्यक्ष, योजना आयोग कृषि क्षेत्र में सुधार संबंधी कार्यनीति के मुख्य बिन्दुओं को रेखांकित करें।

इससे पहले कि हम उपाध्यक्ष और अपने सहयोगियों, कृषि मंत्री और वित्त मंत्री की विस्तृत प्रस्तुति को सुनें, मैं आपके सामने अपने कुछ विचार रखना चाहूंगा ।

हमारे देश में कृषि के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता । **कृषि संबंधित हमारे समग्र विकास के लिए जरूरी है कि इस क्षेत्र में हम लम्बे समय से चली आ रही कृषि की धीमी प्रगति को बदल डालें ताकि देश में समाज के सभी समूहों और क्षेत्रों तक इस विकास का लाभ पहुंचना सुनिश्चित हो सके।** अंतिम दशक में कृषि क्षेत्र की विकास दर कम रही है, जो ग्रामीण क्षेत्र में परेशानियों का मुख्य कारण रहा है। **आज दिनोंदिन कृषि एक अव्यावहारिक गतिविधि का रूप ले रही है जिसका मुख्य कारण है- भू मालिकाना की प्रकृति । लघु और मझौली खेती ने एक अव्यावहारिक स्थिति पैदा कर दी है, और जब तक हम मानक पर कृषि को व्यावहारिक नहीं बनाते हैं वास्तव में तब तक गांवों की गरीबी और परेशानियों को कम करना असंभव होगा।**

कृषि को प्रभावित करने वाली समस्याओं के समाधानों का विश्लेषण कई बार किया जा चुका है। कुछ समय पहले हमने किसानों पर राष्ट्रीय आयोग और ग्यारहवीं योजना के कार्य समूह और स्टीयरिंग कमेटी की रिपोर्टों का लाभ उठाया था और अब एन डी सी उपसमिति की रिपोर्ट का लाभ प्राप्त किया है। उन मुद्दों से लगभग सभी परिचित हैं और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इसका समाधान करने के लिए ग्यारहवीं योजना में प्रभावी नीति अवश्य सामने आएगी।

इनपुट की तरफ कुछ ऐसे मुद्दे है जैसे जल संसाधनों के प्रबंधनों में सुधार करना, इनपुट की गुणवत्ता जैसे बीजों, उर्वरकों, कीटनाशकों में सुधार लाना तथा क्रेडिट में मात्रा और उपलब्धता की दृष्टि से सुधार लाना । फसल कटाई के बाद की कार्रवाइयों में भी कुछ मुद्दे हैं जैसे विपणन और फसल कटाई के बाद के प्रबंधन में सुधार लाना। मैं एक अन्य बात जो हाल ही के वर्षों की कृषि उत्पादन में देख रहा हूं वह है- कृषि उत्पादन में प्रौद्योगिकी का अभाव । अतः हमें प्रौद्योगिकी की आवश्यकता को जल्दी ही पूरा करना होगा ।

कृषि अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार करने तथा इसे विभिन्न क्षेत्रों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप और अधिक सुसंगत बनाने, वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करते हुए सहकारी प्रणाली को सुधारने, विश्वसनीय (क्रेडिटेबल) और प्रभावी कृषि बीमा स्कीमें बनाना और विस्तार सेवाओं में सुधार एवं इन्हें स्थानीय आवश्यकताओं के अच्छे अर्थो में उत्तरदायी बनाने के जैसे संस्थागत मुद्दे हैं । इसके अलावा, हम वर्षा पर निर्भर कृषि में आई रूकावट का सामना करने संबंधी विशिष्ट मुद्दे भी हैं । हमारे कृषि उत्पादन - सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में निवेश को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा मुद्दा भी हैं । इसे बहुत बड़ी परंपरा के संदर्भ में देखे जाने की आवश्यकता है, जिससे सब्सिडी बढ़ती जा रही है तथा निवेश घटता जा रहा है । इस समस्या का सामना करने के लिए हमने पूर्व में बहुत सी पहलें की हैं । हमने राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड स्थापित किए हैं । राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू किया है । कृषि में योजना आबंटन में काफी वृद्धि की है । आत्महत्या प्रभावित जिलों की तत्काल समस्या का समाधान करने के लिए कदम उठाए गए हैं ।

देवियों और सज्जनो,

जबकि ये प्रयास जारी रहेंगे, हमें इस महत्वपूर्ण क्षेत्रक की अल्पावधि और मध्यम अवधि निष्पादनों में सुधार की विशिष्ट कार्यनीतियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे हमारी ग्रामीण जनसंख्या के लगभग दो-तिहाई को सहायता देना भी जारी रहेगा । हमारे कृषि परिदृश्य की विशेषताओं, मुख्य बात सभी राज्यों में सघन फसल उत्पादन का अंतर है । राज्यों और प्रदेशों के फसल उत्पादन में काफी अंतर है । वास्तविक फसल उत्पादन तथा प्रौद्योगिकी फसल उत्पादन के बीच अंतर है । इस फसल उत्पादन की संभाव्यता 40 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक है । अगले तीन या चार वर्षो में वर्धित उत्पादन केवल इन फसल उत्पादनों में अंतरालों को पाटने या क्षेत्र का विस्तार, जितनी सीमा तक विस्तार की आवश्यकता हो, करने से हो सकता है । अतः फसल उत्पादन अंतराल कम करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है । इस फसल उत्पादन अंतराल को समाप्त करने के प्रयासों पर ध्यान देने पर मुझे आशा है कि हम कुछ ही समय में ठोस परिणाग प्राप्त कर राकेंगे ।

तथापि, इसका समाधान इतना आसान नहीं है । विभिन्न कारकों से फसल उत्पादन मं अंतराल आ जाता है । वे भूमि और जलवायु की अलग-अलग विशेषताओं के कारण होता है । सिंचाई की भिन्नता और जल की उपलब्धता एवं खेती की प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकी में भिन्नता के कारण हो सकते हैं । इन अंतरालों को भरने के लिए स्थानीय कृषि जलवायु दशाओं और बाधाओं पर आधारित स्थानीय राज्य-विशिष्ट कार्यनीतियों की आवश्यकता है । मुझे विश्वास है कि राज्यों के साथ मिलजुल कर ऐसी योजनाएं तैयार करना संभव है तथा केन्द्र सरकार ऐसी योजनाओं की बड़े पैमाने पर यथोचित सहायता करेगी और काफी बड़े पैमाने तक प्रभाव दिखाई देगा ।

अभी तक कृषि में एक ऐसे सामान्य सूत्र की कमी रही है, जो हमारे सभी हस्तक्षेपों को एक सामान्य सम्पूर्णता में बांधे और ठोस परिणामों पर ध्यान केन्द्रित करें । हमें खण्डित स्कीमों के यांत्रिक कार्यान्वयन से एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है । जो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल हस्तक्षेपों के योग पर आधारित है ।

यदि आज हम सभी इस पर सहमत हो जाते हैं, तो इम योजना आयोग को उन राज्यों के लिए जो इस प्रकार की स्थानीय योजनाएं तैयार करते हैं, को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक बड़े कार्यक्रम की रूप-रेखा तैयार करने के निदेश दे सकते हैं । मुझे विश्वास है कि इस प्रकार का कार्यक्रम एक ऐसा समाधान प्रस्तुत करेगा, जिसे हम आज तक तलाश रहे थे और राज्यों को विशिष्ट परिणामों जो उत्पादन अंतरालों को भरने की ओर लक्षित हैं; पर ध्यान केन्द्रित कर सिंचाई सहित- कृषि में सभी विषयों को एकीकृत करके एक सामान्य छत्र के नीचे लाने में समर्थ बनाएगा ।

खाद्य सुरक्षा को दृष्टि से भी यह अत्यावश्यक है कि कतिपय खाद्य पदार्थों की कीमतों में हाल में हुई बढ़ोतरी बढ़ती हुई मांग की तुलना में कम आपूर्ति कम रही है । यह विशेष रूप से गेहूं, दालों और खाद्य तेलों के बारे में भी सच है । अनिवार्य खाद्य वस्तुओं की पर्याप्त उपलबधता को सुनिश्चित करने के लिए हमें इनमें से बहुत से उत्पादों का आयात करना पड़ा है, अतः हमें गेहूँ, चावल, दालों और पकाने के तेल के उत्पादन में तीव्र बढ़ोतरी की ओर कार्य करने की आवययकता है, ताकि कीमतों पर नजर रखी जा सके और आम आदमी को इसकी पर्याप्त आपूर्ति मिल सके । हम तीन वर्षों में इन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू करने पर भी विचार कर सकते हैं ।

देवियों व सज्जनो

अन्य कई मुद्दे हैं जिन पर एनडीसी की उपसमिति द्वारा विचार किया गया है । इसने सिंचाई के विस्तार, कृषि अनुसंधान में सुधार, आरआईडीएफ की पुनः संरचना, उर्वरक सब्सिडी प्रणाली की पुनः संरचना, बीज आपूर्ति में सुधार और विस्तार में सुधार से संबंधित रोचक सुझाव दिए हैं । चूंकि कृषि राज्य का विषय है, अधिकांश आयोजना और कार्यनीतियों का कार्यान्वयन सर्वोत्तम रूप से राज्य स्तर पर होता है । हगें राज्य विशिष्ट कार्यनीतियों की आवश्यकता है जिसमें आपकी विशिष्ट स्थायी संसाधन निधि और क्षमताओं और इस पर निर्मित मजबूत और स्पंदनशील कृषि क्षेत्र का ध्यान रखा जाता है । हमें जिला कृषि योजनाओं की आवश्यकता है जो कृषि पर बल देने के लिए बीआरजीएफ और एनआरइजीए सहित सभी वर्तमान स्कीमों के अन्तर्गत उपलब्ध संसाधनों को एकीकृत कर सकती है । मैं केवल इस बात पर बल देना चाहता हूँ कि जो भी नीतियाँ हम अपनाएं, उनके अल्प और मध्यम अवधि में कुछ न कुछ परिणाम अवश्य प्राप्त हों, ताकि समग्र रूप से किसानों/ उपभोक्ताओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसके ठोस लाभ दिखाई दें । कृषि क्षेत्र में आने वाले किसी संकट का निवारण करना और विकसित हो रही अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है ।

इस मामले पर मैं आपके विचार जानना चाहूँगा । आपका धन्यवाद ।